प्रकाशन हेतु अनो

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, (छ: ग:)

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति विजय कुमार श्रीवास्तव

प्रथम अपील क्रं 93 सन् 2003

अपीलार्थी : **श्रीमती सुनीता मिश्रा,**
पत्नी श्री प्रशांत मिश्रा,
आयु लगभग 35 वर्ष,
निवासी खंड क्रं 35, भूखंड क्रं 5, भिलाई, जिला दुर्ग

बनाम

उत्तरवादी : **प्रशांत मिश्रा,**
पुत्र श्री आर.एस. मिश्रा,
आयु लगभग 35 वर्ष,
एमआईजी 350, पद्मनाभपुर, दुर्ग, जिला दुर्ग।

उपस्थित:

- श्री वी.जी. तमास्कर, अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।
- श्री प्रवीण दास, उत्तरवादी के लिए अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय के लिए नियत: 08/07/2005

हस्ताक्षर

वी.के. श्रीवास्तव, न्यायाधीश

दिनांक: 08/07/2005

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, (छ: ग:)
एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति विजय कुमार श्रीवास्तव
प्रथम अपील क्रं 93 सन् 2003

अपीलार्थी	:	**श्रीमती सुनीता मिश्रा,**
उत्तरवादी		**पत्नी श्री प्रशांत मिश्रा,**
		आयु लगभग 32 वर्ष,
		निवासी खंड क्रं 35, भूखंड क्रं 5, नेहरू नगर
		(पश्चिम), भिलाई, जिला दुर्ग (छ: ग:)।

बनाम

उत्तरवादी	:	**प्रशांत मिश्रा,**
वादी		**पुत्र श्री आर.एस. मिश्रा,**
		आयु लगभग 35 वर्ष,
		स्थायी निवासी एमआईजी 350, पद्मनाभपुर, दुर्ग,
		जिला दुर्ग, (छ: ग:)।

उपस्थित:
- श्री वी.जी. तमास्कर, अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।
- श्री प्रवीण दास, उत्तरवादी के लिए अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक: 08/07/2005 को पारित)

यह अपील प्रशांत मिश्रा बनाम श्रीमती सुनीता मिश्रा से संबंधित व्यवहार वाद क्रमांक 61-A/2003 में पंचम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दुर्ग (छ: ग:) द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23/04/2003 के विरुद्ध है, जिसके तहत वादी के पक्ष में न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्रदान की गई है।

2. पक्षकार हिन्दू हैं। पक्षकारों के बीच 04/02/1999 को दल्ली राजहरा, तहसील बालोद, जिला दुर्ग में हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। अपीलार्थी 20/02/1999 तक अपने पति/उत्तरवादी के साथ रही और उसके बाद उत्तरवादी भारत छोड़कर अमेरिका चले गया, जहां वह कार्यरत है। अपीलार्थी कुछ समय तक अपने ससुराल में रहने के बाद अपने पैतृक घर चली गई। वह 18/03/1999 से 25/04/1999 तक और 05/05/1999 से 24/05/1999 तक अपने ससुराल वालों के साथ अपने वैवाहिक घर में रही और उसके बाद वह अपने पैतृक घर में रह रही थी। 30/03/2000 को उत्तरवादी अमेरिका से वापस आ

गया। उपरोक्त अवधि के दौरान अपीलार्थी के पिता ने उत्तरवादी के माता पिता को झूठे अभ्यारोपण लगाते हुए कुछ पत्र लिखे उन पत्रों को पढ़ने के बाद उत्तरवादी को मामले की जानकारी हुई और उसने अपीलार्थी से संपर्क करने का प्रयास किया, परन्तु उत्तरवादी के माता पिता ने उसे अपीलार्थी से बात नहीं करने दी। अतः अप्रैल 2000 के द्वितीय सप्ताह में उत्तरवादी ने पारिवारिक सुलह केंद्र से संपर्क किया और पारिवारिक सुलह केंद्र की सहायता से दिनांक 20/04/2004 दोनों पक्षों के मध्य सुलह हो गया। पश्चात् उत्तरवादी के साथ अपीलार्थी वीज़ा लेने हेतु मुंबई गयी, वही रही और वीजा लेने के पश्चात दुर्ग वापस आ गई। विवाह की तिथि से दिनांक 02/05/2000 तक अपीलार्थी ने उत्तरवादी के प्रति अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और जब भी उत्तरवादी ने संभोग के लिए आग्रह किया, उसने यह कहते हुए इनकार कर दिया की वह अपवित्र हो जाएगी और यदि मजबूर किया गया, तो वह आत्महत्या कर लेगी। दिनांक 03/05/2000 को जब उसे उत्तरवादी के साथ अमेरिका जाने के लिए कहा गया तो उसने इनकार कर दिया और अपनी शादी की अंगूठी वापस कर दी। इसलिए, क्रूरता के आधार पर उत्तरवादी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 13 के अंतर्गत तलाक का डिक्री प्राप्त करने हेतु वाद दायर किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दूसरी ओर, अपीलार्थी ने अपने जवाब में कहा कि दहेज की माँग को लेकर उसे ससुराल वालों द्वारा क्रूरता का सामना करना पड़ा। विवाह के पश्चात् उत्तरवादी ने उसे अमेरिका ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया, न ही उसने पासपोर्ट बनवाया और न वीजा प्राप्त किया। एक हिंदू महिला होने के नाते, उसे शारीरिक संबंध स्थापित करने की पहल करने में संकोच था, और यह उत्तरवादी का दायित्व था, किंतु उत्तरवादी ने कभी भी सहवास की पहल नहीं की और न ही शारीरिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। अपीलार्थी अभी भी उत्तरवादी के साथ अमेरिका जाने को तैयार है, किंतु यह जानते हुए भी कि अपीलार्थी के पास पासपोर्ट और वीजा है, उत्तरवादी ने उसे अमेरिका नहीं ले गया।

4. दोनों पक्षों ने अपने मामले के समर्थन में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए और विभिन्न दस्तावेज पेश किए। निचली अदालत ने माना कि अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी के साथ शारीरिक संबंध से इंकार करना और सगाई की अंगूठी देने व वापस लेने का कार्य मानसिक प्रताड़ना है। निचली अदालत ने यह भी माना कि उत्तरवादी ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया कि यदि अपीलार्थी शारीरिक संबंध बनाए रखने को तैयार है, तो वह उसे रखने को तैयार है। अतः

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत ने न्यायिक पृथक्करण का डिक्री यह निर्देश देते हुए पारित किया कि यदि एक वर्ष की अवधि में पक्षों के बीच सहवास पुनः प्रारंभ नहीं होता, तो उत्तरवादी विवाह विच्छेद के लिए नया आवेदन दायर कर सकता है।

5. उत्तरवादी ने जवाबी अपील दायर की और तर्क दिया कि उसके साक्ष्य में अपीलार्थी को रखने की स्वीकृति एक टंकण त्रुटि थी। अतः जब क्रूरता सिद्ध हो चुकी थी और विवाह असंपन्न रहा, तो न्यायालय के पास तलाक की डिक्री देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। उत्तरवादी ने यह भी तर्क दिया कि न्यायिक पृथक्करण के डिक्री के पश्चात् एक वर्ष की अवधि बीत चुकी है और पक्षों के बीच सहवास पुनः प्रारंभ नहीं हुआ, अतः इस अतिरिक्त आधार पर भी उसे तलाक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार है।

6. दोनों पक्षों को विस्तार से सुना गया और निचले न्यायालय का रिकॉर्ड अवलोकन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दिनांक 24/04/2000 को पति और पत्नी ने सुलह के प्रयास के परिणामस्वरूप एक समझौता किया। दोनों पक्षों ने करारनामा पत्र (प्रदर्श-P/10) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लिखा गया कि उत्तरवादी और उसके ससुराल वालों ने अपीलार्थी द्वारा की गई गलतियों/अपराधों को क्षमा कर दिया और उसे उनके साथ रहने की अनुमति दी। समझौते में निम्नलिखित शर्तें सहमति से स्वीकार की गईं:

(1) मैं अपने पति प्रशांत मिश्रा के साथ रहते हुए उनके सभी निर्देशों एवं आज्ञाओं का पालन करूँगी। अपने पति के साथ भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं करूँगी, न ही किसी भी प्रकार के झूठ का सहारा लूँगी।

(2) पति श्री प्रशांत मिश्रा की आय-व्यय के संबंध में किसी भी प्रकार की जाँच-पड़ताल नहीं करूँगी। उनसे कभी आगरा (राधास्वामी) में या मायके वालों को पैसे देने के लिए दबाव नहीं डालूँगी।

(3) यह कि मैं अपने पति श्री प्रशांत मिश्रा या ससुराल के किसी भी सदस्य को अपने मायके के किसी भी सदस्य से संबंध रखने के लिए दबाव नहीं डालूँगी।

(4) मैं राधास्वामी मत मानने के लिए अपने पति एवं ससुराल के किसी भी सदस्य पर अपने पिता जी की तरह दबाव नहीं डालूँगी, न ही कभी आगरा (राधास्वामी) जाऊँगी।

(5) अपने स्वभाव के अनुसार अपनी किसी बात को मनवाने के लिए भविष्य में कभी भी आत्महत्या, दहेज तथा मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं दूँगी, न ही किसी अन्य झूठे आरोप किसी पर लगाऊँगी।

(6) मैं अपने ससुराल के सभी रीतिरिवाजों एवं सामाजिक संस्कारों का सम्मान एवं पालन करते हुए भविष्य में बिना अनुमति के मायके नहीं जाऊँगी एवं दाम्पत्य व गृहस्थ जीवन का पूर्णतः पालन करूँगी तथा परिवार के सभी सदस्यों के समान स्तर पर रहूँगी। यदि मुझे असुविधा हुई तो मैं स्वेच्छा से ससुराल छोड़ दूँगी, जिसे स्वेच्छा से तलाक समझा जावे। आज के बाद यदि मैं या मेरे मायके वालों द्वारा आरोप लगाए गए तो उन्हें झूठा समझा जाए, क्योंकि पहले भी लगाए गए आरोप झूठे थे, जिनके लिए मैंने एवं मेरे पिता जी ने पत्र लिखकर माफी भी मांग ली है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उक्त समझौते में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थी ने उत्तरवादी के शारीरिक संबंध स्थापित करने के अनुरोध को अस्वीकार किया या सहवास की पहल करते समय या शारीरिक संबंध बनाए रखते समय उसने यह बहाना बनाया कि वह अपवित्र हो जाएगी या आत्महत्या कर लेगी। अतः प्रदर्श-पी/10 से यह स्थापित होता है कि ऐसी कोई घटना कभी घटित नहीं हुई और उत्तरवादी को जो भी क्रूरता हुई, उसे उत्तरवादी ने क्षमा कर दिया।

9. प्रशांत मिश्रा/उत्तरवादी (साक्षी/1) ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया कि दिनांक 21/02/1999 को जब वह अमेरिका के लिए रवाना हुआ, तब तक अपीलार्थी के साथ उसका कोई विवाद नहीं था। इसके अतिरिक्त, वह स्वीकार करता है कि दिनांक 05/02/1999 से 20/02/1999 तक कोई विवाद नहीं हुआ, जो पक्षों को तलाक के लिए प्रेरित करे।

10. उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि दिनांक 05/02/1999 से 20/02/1999 तक पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं था, अतः शारीरिक या मानसिक क्रूरता का प्रश्न ही नहीं उठता। सुलह

और समझौता पत्र (प्रदर्श पी/10) के निष्पादन के पश्चात् अपीलार्थी ने दिनांक 26/04/1999 से 02/05/1999 तक उत्तरवादी के साथ निवास किया। प्रशांत मिश्रा/उत्तरवादी (साक्षी/1) ने अपनी साक्ष्य के पैरा 9 में बयान दिया कि बॉम्बे में उसने अपीलार्थी के साथ सहवास का प्रयास किया, किंतु अपीलार्थी ने राधास्वामी निष्ठा का पालन करने का बहाना बनाकर सहवास से इंकार किया। कुछ विवाद हुआ और वह चला गया। जब वह वापस आया, तो उसने अपीलार्थी को खिड़की पर बैठे देखा, अतः उसे भय हुआ और इसके पश्चात् उसने सहवास का प्रयास नहीं किया। उसने पैरा 11 में आगे बयान दिया कि अपीलार्थी का पासपोर्ट और वीजा तैयार था, अतः उसने उसे अमेरिका ले जाने का प्रयास किया, किंतु उसने इंकार कर दिया। यहाँ यह स्पष्ट है कि यदि अपीलार्थी ने समझौता पत्र (प्रदर्श पी/10) के बावजूद सहवास से इंकार किया या परोक्ष रूप से आत्महत्या की धमकी दी, तो कोई भी व्यक्ति ऐसी महिला को अमेरिका ले जाने का साहस नहीं करेगा। यदि उत्तरवादी, इन सभी तथ्यों के बावजूद, अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने को तैयार था, तो इसका अर्थ है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई या उसने अपीलार्थी द्वारा की गई किसी भी क्रूरता को और अधिक क्षमा कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. प्रदर्श पी/डी-1, उत्तरवादी के पिता डॉ. आर.एस. मिश्रा (साक्षी/3) द्वारा लिखा गया पत्र है, जो अपनी साक्ष्य में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने यह पत्र दिनांक 10/05/2000 को लिखा था। प्रस्ताव-पत्र/डी-1 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं था, अतः उत्तरवादी के पिता ने अपीलार्थी को अमेरिका जाने का प्रस्ताव देते हुए पत्र भेजा। प्रदर्श पी/डी-2 भी विवादित नहीं है। दिनांक 24/05/2000 को (प्रदर्श पी/डी-2) अपीलार्थी के पिता ने सूचित किया कि अपीलार्थी अमेरिका जाने को तैयार है, अतः टिकट की व्यवस्था की जाए। इन पत्राचारों से स्पष्ट है कि दिनांक 10/05/2000 तक पति और पत्नी के बीच कोई शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं थे। यदि दिनांक 02/05/2000 को अपीलार्थी ने मानसिक तैयारी के अभाव में तत्काल उत्तरवादी के साथ जाने से इंकार किया, तो यह क्रूरता के समान नहीं है। इसके विपरीत, पति का व्यवहार, जिसने इसके पश्चात् जानबूझकर उसे नहीं ले गया या उसके लिए व्यवस्था नहीं की, अपीलार्थी के प्रति क्रूरता के समान है।

12. श्रीमती सुनीता मिश्रा/अपीलार्थी (गैर-साक्षी/1) ने अपनी साक्ष्य में बयान दिया कि जब वे बॉम्बे से लौटे, तो एक लॉज में ठहरे, जहाँ उनके ससुराल वालों ने कहा कि वर्तमान में उनका पति जाएगा और उसे बाद में भेजा जाएगा। तब तक उनके पति के साथ उनके

संबंध सौहार्दपूर्ण थे। वह अभी भी अपने पति के साथ रहना चाहती है। प्रतिपरिक्षण में उसने इस सुझाव का खंडन किया कि जब उनके पति ने शारीरिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, तो उसने इंकार किया और होटल से कूदने की धमकी दी। प्रतिपरिक्षण में उसने यह भी कहा कि जब वे दुर्ग लौटे, तो उनके ससुराल वालों ने कहा कि उसका टिकट कन्फर्म नहीं है, अतः वर्तमान में उसे दल्ली जाना चाहिए। उसकी साक्ष्य में इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने कभी सहवास से इंकार किया या आत्महत्या की धमकी दी। उसका बयान स्वाभाविक है और उत्तरवादी के उपरोक्त साक्ष्य से समर्थन प्राप्त करता है तथा विश्वसनीय है।

13. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से सिद्ध होता है कि अपीलार्थी ने उत्तरवादी के साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार नहीं किया, जो उत्तरवादी को तलाक का डिक्री प्राप्त करने का हकदार बनाए। तलाक के लिए, विवाह के पक्षकार, चाहे विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में संपन्न हुआ हो, यह आधार पर विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है कि न्यायिक पृथक्करण के डिक्री पारित होने के पश्चात् पक्षों के बीच एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक सहवास पुनः प्रारंभ नहीं हुआ है। न्यायिक पृथक्करण का डिक्री का अर्थ है, एक ऐसा न्यायिक पृथक्करण का डिक्री जो अपनी अंतिमता तक पहुँच चुका हो। अतः निचली अदालत द्वारा पारित न्यायिक पृथक्करण का डिक्री, जो इस अपील में चुनौती के अधीन है, उत्तरवादी को अपीलार्थी के विरुद्ध तलाक का डिक्री प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं देता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि निचली अदालत ने उत्तरवादी के पक्ष में क्रूरता मानने में त्रुटि की। परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। क्रॉस अपील खारिज की जाती है। निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री रद्द की जाती है।

हस्ताक्षर:
वी.के. श्रीवास्तव, न्यायाधीश
दिनांक: 08/07/2005

राजू

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Aayush Bhatia, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur